छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

याचिका क्र. 98/2024

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंतिम ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका की सार संक्षेपिका

रू. 50/–

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंतिम ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता एवं खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका का सार संक्षेप

पृष्ठ भूमि :–

(अ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सहपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ज.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रेडि.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.होल्ड.कं.लि.) को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु विद्युत दरों का निर्धारण माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 तथा उसके अन्तर्गत प्रभावशील नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

(ब) माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 09/2024 में जारी आदेश दिनांक 01.06.2024 के वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ अनुसूची में अधिसूचित विद्युत दरें जो कि दिनांक 01.06.2024 से प्रभावशील है, वर्तमान में लागू हैं।

(स) विद्युत अधिनियम, 2003 एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकंलन कर माननीय आयोग के समक्ष टैरिफ निर्धारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1)(a) में निहित प्रावधानों एवं माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम – 2021 सहित उसके संशोधन में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंतिम ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में याचिकाकर्ता (वितरण कंपनी) ने कार्यालयीन दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। तथापि, यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं

तदानुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

<u>विशेष टीप</u> : **(प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में याचिका का मूल अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)**

1. <u>वर्ष 2023–24 के लिये अंतिम ट्रू–अप का विवरण</u> :–

(i) <u>वितरण हानि :</u>

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के भार वृद्धि एवं विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के उपरांत वितरण हानि में उत्तरोत्तर कमी हो रही है।

विवरण	**वर्ष–2023-24**
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	15.33%
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. द्वारा प्राप्त वितरण हानि	17.42%

(ii) <u>वर्ष 2023–24 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्रय लागत का विवरण</u>

(याचिका की तालिका क्रमांक –7)

स. क्र.	विवरण	28.03.2023 के टैरिफ आदेश के अनुसार			अंतिम ट्रू–अप		
	स्त्रोतों का विवरण	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रू. करोड़ में)	स्वीकृत दर (रू. प्रति केडब्ल्यू एच में)	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राशि (रू. करोड़ में)	दर (रू. प्रति केडब्ल्यू एच में)
A	**केन्द्रीय विद्युत संयंत्रो से**	**14,411.68**	**5,707.93**	**3.96**	**17,136.66**	**6,880.59**	**4.02**
1	एनटीपीसी.	*13205.52*	*5071.7*	*3.84*	*15,628.36*	*6,266.69*	*4.01*
2	एनटीपीसी–सेल (एनएसपीसीएल)	*279.94*	*133.49*	*4.77*	*318.66*	*138.18*	*4.34*
3	एनपीसीआईएल	*277.93*	*94.46*	*3.40*	*553.25*	*212.01*	*3.83*
4	हीराकुण्ड (ओएचपीसीएल)	*648.29*	*408.28*	*6.30*	*16.48*	*3.62*	*2.20*
5	एनएचपीसीएल				*379.38*	*157.97*	*4.16*
6	एनईईपीसीओ				*56.47*	*22.65*	*4.01*
7	बन्डल्ड थर्मल पॉवर				*184.06*	*79.45*	*4.32*
B	**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से**	**18,697.84**	**6,441.91**	**3.45**	**19,688.97**	**7,287.66**	**3.70**
1	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी– ताप	*18023.59*	*6370.29*	*3.53*	*19,328.62*	*6,666.35*	*3.45*
2	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी– हाईड्रो	*674.25*	*71.62*	*1.06*	*320.73*	*70.82*	*2.21*
3	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी– नवीकरणीय				*39.61*	*12.45*	*3.14*
4	अन्य	-	-	-	-	*538.04**	-
C	**अल्पकालिक क्रय**	**-**	**-**	**-**	**273.12**	**329.79**	**7.10**

	(आईईएक्स)						
D	अन्य (पारेषण कंपनी का विलंबित भुगतान अधिभार)	-	-	-	-	135.83	-
E	**रियायती पॉवर**	2,395.56	444.52	1.86	3233.09	744.33	2.30
F	**अन्य– नवीकरणीय स्त्रोत**	**4,695.64**	**1,331.70**	**2.84**	**4,270.79**	**2,293.31**	**5.37**
1	बायोमॉस	-	*115.5*	-	*992.22*	*775.92*	***7.82***
2	सोलर	*960.33*	*240.08*	*2.50*	*2,193.94*	*878.36*	***4.00***
3	हाईडल	*464.72*	*158.47*	*3.41*	*474.73*	*321.61*	***6.77***
4	पीएम कुसुम योजना कम्पोनेन्ट–ए (एसजीपी)				*0.26*	*0.09*	*3.46*
5	पवन	*3270.59*	*817.65*	*2.50*	*609.65*	*171.42*	*2.81*
6	अन्य आरई लागत (सोलर रूफटॉप बैंकिंग)				-	*145.91*	-
G	**अनशेड्यूल्ड पॉवर**	-	-	-	-	-	-
H	**पारेषण प्रभार**	-	**1899.85**	-	-	**2204.40**	-
1	अंर्तराज्यीय पारेषण लागत	-	*724.69*	-	-	*1198.60*	-
2	अंतः राज्यीय पारेषण लागत	-	*1155.61*	-	-	*996.82*	-
3	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार	-	*19.55*	-	-	*8.99*	-
I	**यूआई क्रय**	-	-	-	**519.15**	**217.23**	**4.18**
J	**सीमावर्ती गांव**	-	-	-	**2.12**	**2.03**	**9.60**
K	**बैकिंग क्रय**	-	-	-	**352.52**	-	-
L	**प्रतिक्रियाशील प्रभार**	-	-	-	-	**0.28**	-
M	**सकल विद्युत क्रय लागत**	**40,200.72**	**15,822.19**	**3.94**	**45,476.40**	**19,959.62**	**4.39**
N	**समायोजन**	**3,714.17**	**1,921.02**	-	**6,841.92**	**2,464.54**	**3.60**
1	सेल ऑफ सरप्लस पॉवर	*3714.17*	*1921.02*	*5.17*	*5,316.61*	*2,270.80*	*4.27*
2	यूआई सेल	-	-	-	*672.86*	*173.21*	*2.57*
3	बैंकिंग सेल	-	-	-	*852.46*	-	-
4	आरआरएएस सेटलमेंट	-	-	-	-	*20.52*	-
O	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत**	**36,486.53**	**13,901.17**	**3.81**	**38,634. 48**	**17,495.08**	**4.53**

* टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अनुमोदित राजस्व कमी का भुगतान।

(iii) <u>लेखापरीक्षित खाता के अनुसार ट्रू अप किये जाने पर वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण</u>

(याचिका की तालिका क्रमांक –23)
(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24		
		टैरिफ आदेश दि. 28.03.2023	अंतिम ट्रू–अप	अन्तर
A	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत**	**15,825.91**	**19,959.62**	**4,133.71**
B	**संचारण एवं संधारण व्यय**	**2,430.81**	**2,587.26**	**156.45**
1	शुद्ध कर्मचारी लागत	1,308.04	1,168.50	(139.54)
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	92.42	78.99	(13.43)
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	261.95	444.57	182.62
4	पेंशन और उपादान	768.40	895.21	126.81
C	**ब्याज एवं वित्तीय व्यय**	**285.01**	**408.52**	**123.51**
1	ऋण पर ब्याज	149.52	244.62	95.10

2	सुरक्षा निधि पर ब्याज	-	-	-
3	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	135.49	163.89	28.40
D	**अन्य व्यय**	**657.43**	**822.54**	**165.11**
1	अवमूल्यन	296.63	399.23	102.60
2	इक्विटी पर रिटर्न	360.80	423.31	62.51
E	**दक्षता पर लाभ/(हानि)**	**-**	**(260.25)**	**(260.25)**
1	संचा./संधा. दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)	-	(91.83)	(91.83)
2	वितरण हानि दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)	-	(168.42)	(168.42)
F	**कमी : गैर टैरिफ आय**	**185.43**	**438.46**	**253.03**
1	गैर टैरिफ आय	185.43	110.13	(75.30)
2	व्हीलिंग चार्जेस ओपन एक्सेस एण्ड क्रास सब्सिडी चार्ज, पीओसी	-	328.33	328.33
G	**सीएसडी मुद्दे पर APTEL निर्णय का प्रभाव**	**96.24**	**-**	**-**
H	**सरप्लस पॉवर की बिक्री से राजस्व**	**1877.94**	**-**	**(1877.94)**
I	**कुल राजस्व आवश्यकता**	**17,228.31**	**23,079.22**	**5,947.15**

उपरोक्तानुसार, माननीय आयोग से 23,079.22 करोड रूपये की राजस्व आवश्यकता को स्वीकृत करने की प्रार्थना है।

(iv) वर्ष 2023–24 के लिये स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है

(याचिका की तालिका क्रमांक 25)
(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	2023–24 टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 के अनुसार से	अंतिम ट्रू–अप
1	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता	17,228.31	23,079.22
2	बिजली के विक्रय से आय	19,032.47	22,242.97
3	**स्टैण्ड एलोन कमी/(आधिक्य)**	**(1,804.16)**	**836.24**
4	CSPGCL के लिए वर्ष 2021–22 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	538.04	538.04
5	CSPTCL के लिए वर्ष 2021–22 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	51.24	51.24
6	CSLDC के लिए वर्ष 2021–22 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य)	(2.55)	(2.55)
7	CSPDCL के लिए वर्ष 2010–22 का अंतिम ट्रू–अप का अग्रेनीत कमी/(आधिक्य) रिव्यू पीटिशन के प्रभाव सहित	4,321.46	4,321.46
8	वित्त वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आरपीओ के लिए अतिरिक्त प्रावधान को कैरिंग कॉस्ट के साथ कम करना	(179.50)	(179.50)
9	**अंतिम राजस्व कमी/(आधिक्य)**	**2,924.53**	**5,564.93**
10	वर्ष 2023–24 में कमी का समायोजन	-	-
11	कुल अंतिम कमी	2,924.53	5,564.93
12	समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	20,152.84	28,644.15
13	ब्याज दर (प्रतिशत)	-	9.16%
14	कैरिंग/(होल्डिंग) लागत	-	37.89
15	**वर्ष के अंत में कुल क्लोजिंग राजस्व कमी/(आधिक्य)**	**2,924.53**	**5,603.23**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2023–24 के लिये माननीय आयोग से रू. 5,564.93 करोड़ राजस्व कमी की राशि के अनुमोदन का अनुरोध है। यह अंतर वर्ष 2025–26 में कैरिंग कॉस्ट सहित रू. 5,603.23 करोड़ है जो कि याचिका के तालिका क्र. 25 मे दर्शित किया गया है।

2. वर्ष 2025–26 हेतु विद्युत क्रय लागत के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) पॉवर परचेस की कॉस्ट एवं उपलब्धता

(याचिका की तालिका क्रमांक – 38)

स.क.	विवरण	वर्ष 2025–26		
		क्रय की गई यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रू. करोड में)	पैसा / केडब्ल्यूएच
1	**केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से**	**16107.87**	**7045.12**	**4.37**
a	एनटीपीसी	*13517.57*	*5913.91*	*4.37*
b	एनटीपीसी–सेल (एनएसपीसीएल)	*283.76*	*127.42*	*4.49*
c	एनपीसीआईएल	*505.79*	*211.39*	*4.18*
d	हीराकुन्ड (ओएचपीसीएल)	*16.48*	*3.62*	*2.20*
e	नया एलएचपी	*1784.27*	*788.78*	*4.42*
2	**राज्य उत्पादन संयंत्रों से**	**19426.15**	**6918.19**	**3.56**
3	**आईईएक्स / पीएक्सआईएल / ट्रेडर्स् (लघु अवधि)**	-	-	-
4	**रियायती पॉवर**	**2395.56**	**687.53**	**2.87**
5	**अन्य नवीनीकरणीय स्त्रोत**	**6310.41**	**2672.00**	**4.23**
a	बायोमॉस	*992.22*	*761.83*	*7.68*
b	सोलर	*2875.71*	*1056.20*	*3.67*
c	हाईडल	*474.73*	*348.68*	*7.34*
d	अन्य आरई (पवन व हाईब्रिड)	*1967.75*	*505.29*	*2.57*
6	**कुल विद्युत क्रय लागत**	**44,239.99**	**17,322.84**	**3.92**
7	**पारेषण प्रभार**		**2,311.07**	
8	**पारेषण प्रभार के साथ सकल विद्युत क्रय लागत**	**44,239.99**	**19,633.91**	**4.44**
9	**सेल आफ सरप्लस पॉवर**	**2,042.94**	**872.34**	**4.27**
10	**शुद्ध विद्युत कय लागत**	**42197.04**	**18761.58**	**4.45**

(ii) वर्ष 2025–26 के लिये (स्टैण्ड अलोन) वार्षिक राजस्व आवश्यकता (वर्ष 2023–24 के राजस्व कमी / गैप के अलावा)

(याचिका की तालिका क्रमांक 49)
(रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26
A	**विद्युत क्रय लागत**	**19,633.91**
1	विद्युत क्रय लागत(पारेषण प्रभार बगैर)	17,322.84
2	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (PGCIL)	1,258.53
3	अन्तःराज्यीय पारेषण प्रभार	1,046.66
4	सीएसएलडीसी प्रभार	8.99
B	**संचारण एवं संधारण व्यय**	**2,835.38**
1	कुल कर्मचारी लागत	1,307.57
2	कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	88.05
3	कुल मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	489.48
4	सेवा निवृति लाभ (पेंशन और ग्रेज्यूटी)	950.27
C	**ब्याज एवं वित्तीय व्यय**	**704.36**

1	ऋण पर ब्याज	360.46
2	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	250.37
D	**अन्य व्यय**	**1,102.36**
1	अवमूल्यन	543.89
2	इक्विटी से रिटर्न	463.84
E	**कमीः नॉन टैरिफ इन्कम**	**133.26**
1	नॉन टैरिफ इन्कम	133.26
2	व्हीलिंग प्रभार, ओपन एसेस एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज	-
F	**कमीः सरप्लस पॉवर का विक्रय**	**872.34**
G	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**23,082.26**

(iii) **वर्ष 2025–26 के स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है**

(याचिका की तालिका क्रमांक – 52)

(रूपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26
1.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	23,082.26
2.	वर्तमान टैरिफ अनुसार विद्युत विक्रय से आय	24,653.71
3.	स्टेण्ड लोन (कमी)/अधिशेष	**1,571.45**

3. वर्ष 2024–25 के लिये प्रस्ताव

(1) टीओडी टैरिफ के लिए पात्र (एचव्ही–2, एचव्ही–3 एवं एचव्ही–4 श्रेणी) उपभोक्ताओं को ''सोलर ऑवर्स'' के दौरान उनकी अनुबंध भार से 20 प्रतिशत अतिरिक्त भार का उपभोग करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(2) निम्नदाब श्रेणी में 112 किलोवाट से अधिक एवं अधिकतम 150 किलोवाट तक के नए विद्युत संयोजनो के आवेदको हेतु उचित टैरिफ का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर